फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर,(SDO) भीण्डर, उदयपुर

प्रार्थी : श्री वजेराम बनाम विपक्षी : श्री राज्य सरकार जरिये तहसीलदार भीण्डर व अन्य

किस्म मुकदमा – 251 "क" राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पत्रावली संख्या : 74/23

क्रमांक	कार्यवाही विवरण
	दिनांक 30.10.2025

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। प्रकरण में तहसीलदार भीण्डर से पुनः रिपोर्ट प्राप्त। शामिल फाईल रहे। प्रकरण में अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। अधिवक्ता प्रार्थी के कथनानुसार मौजा बडगांव पटवार हल्का बडगांव तहसील भीण्डर की खातेदारी आराजी न. 2039, 2041, 2042 व आराजी न. 2040, 2054 में आने जाने हेतु बेलगाडी, ट्रेक्टर ले जाने हेतु विपक्षी की आराजी न. 2031, 2032 में से 20 फीट चौडा रास्ता कायम किये जाने का निवेदन किया। प्रार्थी द्वारा सदीप से उक्त आराजी में से रास्ते के रूप में उपयोग होना बताया तथा इस रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता प्रार्थी की भूमि पर पहुंचने का नहीं बताया जिससे रास्ता कायम किये जाने का निवेदन किया जिससे तहसीलदार भीण्डर द्वारा उक्त प्रकरण में 20 फीट चौडा रास्ता प्रस्तावित कर रिपोर्ट पेश की गई।

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर रास्ता 20 फीट के बजाय 13 फीट दिये जाने का निवेदन किया जिससे तहसीलदार भीण्डर से पुनः रिपोर्ट मंगवाई गई जिसकी पालना में तहसीलदार द्वारा बिन्दुवार रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिसमें बताया कि राजस्व ग्राम बडगांव कि आ.न. 2039, 2041, 2042 किता 03 रकबा 2.15 हे. में प्रार्थी वजेराम पिता गमेरा जाट हिस्सा 1/6 एवं आ.न. 2040, 2054 किता 02 रकबा 0.40 हे. भी प्रार्थी खातेदार 1/6 होकर सहखातेदार दर्ज रेकर्ड है। प्रार्थी के उक्त खातेदारी आराजीयात तक पहुंच मार्ग हेतु रास्ता दर्ज रेकर्ड नहीं है। प्रार्थी द्वारा राजकीय बिलानाम भूमि आ. सं. 2031, 2032 में से 20 फीट चौडा रास्ते के बजाय 13 फिट चौडा रास्ते हेतु पुनः निवेदन किया। तहसीलदार भीण्डर द्वारा आ.न. 2039, 2041, 2042 तक पहुंच हेतु निकटतम रास्ता बिलानाम भूमि आराजी सं. 2031, 2032 में से प्रस्तावित कर बताया कि आराजी सं. 2031 में से ल. 106 मी., चौडाई 4 मी. रकबा 0.0424 है. एवं आ. सं. 2032 में से ल. 5 मी. चौ. 4 मी. रकबा 0.0020 है. कुल ल. 111 मी. चौ. 4 मी. कुल रकबा 0.0444 है. प्रस्तावित किया गया। तहसीलदार भीण्डर द्वारा बताया कि उक्त रास्ता प्रार्थी की खातेदारी भूमि पर जाने का न्यूनतम दूरी वाला रास्ता है व अन्य न्यूनतम दूरी वाला रास्ता उपलब्ध नहीं है। तहसीलदार भीण्डर द्वारा राजस्व ग्राम बडगांव की आराजी संख्या 2039, 2041, 2042 के पहुंच मार्ग हेतु बिलानाम आराजी संख्या 2031, 2032 में से 0.0444 है. रास्ता (चौडाई 04 मी. लम्बाई 111 मीटर दिया जाना प्रस्तावति किया तथा ग्राम बडगांव की वर्तमान डी.एल.सी दर 2673000 प्रति है. के अनुसार रकबा 0.0444 है. हेतु राशि 118700 रू की दुगनी जमा योग्य राशि 237400 रू. बताई तथा प्रस्तावित नक्शा ट्रेस पेश किया गया।

प्रकरण में तहसीलदार भीण्डर की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि में जाने हेतु प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य न्युनतम दुरी वाला रास्ता उपलब्ध नहीं है उक्त प्रस्तावित रास्ता निकटतम रास्ता है। प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि में आने जाने हेतु विपक्षी की जिस भूमि में से रास्ता चाह रहा है वह वर्तमान में बिलानाम भूमि हैं। राज्य सरकार द्वारा परिपत्र क्रंमाक प.3(52)राज.-6/12/04 दिनांक 14.06.2013 द्वारा बिलानाम भूमि में से रास्ता दिये जाने के प्रावधान किये गये है। तहसीलदार भीण्डर की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि प्रार्थी की भूमि में आने जाने हेतु विपक्षी की भूमि के अतिरिक्त अन्य किसी भूमि में से होकर कोई रास्ता नहीं गुजरता हैं जिससे रास्ता कायम किया जाना उचित प्रतित होता है। इस प्रकार डी.एल.सी. दर की

दुगुनी राशि पर सशुल्क रास्ता दिया जाना उचित है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य पाया जाता है।

—: : आदेश : :—

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा बडगांव पटवार हल्का बडगांव तहसील भीण्डर की आराजी नम्बर 2039, 2041, 2042 व 2040, 2054 भूमि में आने जाने हेतु विपक्षी की आराजी संख्या 2031 में से (ल.xचौ.) (106 x 4 = 424 वर्ग मीटर) अर्थात 0.0424 है. व आराजी संख्या 2032 में से (ल.xचौ.) (5 x 4 = 20 वर्ग मीटर) अर्थात 0.0020 है. कुल रकबा 444 वर्ग मीटर अर्थात 0.0444 है. भूमि का रास्ता तहसीलदार भीण्डर द्वारा प्रस्तावित राजस्व नक्शा ट्रेस अनुसार प्रार्थी की खातेदारी आराजीयात तक कायम किया जावें। इस प्रकार रास्तें में आने वाली भूमि की डीएलसी दर 2673000/— अक्षरे छब्बीस लाख तियोत्तर हजार रूपयें प्रति हेक्टेयर के हिसाब से प्रस्तावित रास्ता की कुल कीमत 118700/— रूपये का दुगुना 237400/— रूपये दो लाख सेतीस हजार चार सौ रूपयें राशि प्रार्थी से वसूल कर विपक्षी को क्षतिपूर्ति के रूप में दिलाई जावें। उक्त राशि विपक्षी को अदा करने के पश्चात् इस भूमि को राजस्व रेकर्ड में बिलानाम गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किया जावें। इस रास्तें पर प्रार्थी का कोई खातेदारी अधिकार नहीं रहेगा, केवल आने जानें हेतु उपयोग कर सकेगा। मौके पर रास्ता कायम कर सार्वजनिक रूप से उपयोग उपभोग हेतु खुला रखा जावें। इसी अनुसार रास्ता कायम कर तरमीम कर पालना पेश करें। पालना हेतु तहसीलदार भीण्डर को लिखा जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय खुले ईजलास सुनाया गया।